तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भूंरा उर्फ भंवरलाल बनाम लीला पारीक** **100/08 (आरसीएमएस नं. 2008/00013)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष का दोराने बहस कथन रहा है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित भूमि का आपसी सहमति के आधार पर विड्रा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र/राजीनामा के आधार पर राजीनामा कर लिया है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन भूमि में अन्य कार्यवाही राजीनामे के अनुसार ही की जावेगी, ऐस स्थिति में अपील अपीलान्ट राजीनामें के आधार पर विड्रो करना चाहते है यानि अपील को आगे नही चलाना चहता है इसलिये अपीलान्ट की अपील को विड्रो किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपील स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा विड्रो करना चाहता है, ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरेक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने के कारण अपीलान्ट की अपील विड्रो/निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(के0सी0वर्मा)** संभागीय आयुक्त जयपुर।	